

## कार्यालय उप वन संरक्षक, वारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 074532230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2025 -26/ 4767 दिनांक 13/03/2026

निमित्त:- अधिशासी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवादा।

विशय :- मामली लक्ष्मीपुरा से पटपडी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।  
Proposal no.FP/RJ/ROAD/7127/2014 (1.14 ha)  
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5334 दिनांक 28.08.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख ) राज0 के पत्र क्रमांक 86-143 दिनांक 13.01.2025 से श्रमिक दरों में परिवर्तन होने के कारण संशोधित डिमान्ड नोट, निम्नानुसार है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि -

क्र.	वेज रेट @ 252/- की दर से राशि	वेज रेट @ 259/- की दर से राशि	वेज रेट @ 285/- की दर से राशि	जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा करा जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	1.14 164100 187074	1.14 198000 225720	1.14 850600 969624	0	969624

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -3 के क्रम में NPV हेतु धन राशि -

क्रम सं	तत्समय प्रचलित दर से ली गई राशि 626000/-	NPV वर्तमान नवीन दर से ली गई राशि 957780/-	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	1.14 626000 713640	1.14 957780/- 1091869/-	0	1091869

3. FCA उल्लंघन के क्रम में (MOEF & CC ) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती

a उल्लंघन की दिनांक - 25.08.2015

b कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.14 है0

c NPV की राशि - 957780 प्रति है0

d शास्ती की गणना 25 अगस्त 2015 से 31.07.2020 तक  $1.14 \times 5 \times 957780 = 5459346/-$

1 अगस्त 2020 से 31.07.2025 तक

$5459346 \times (12/100) \times 5 = 3275607.60/-$

25 अगस्त 2015 से 31.07.2025 तक

$$5459346+3275607.60 = 8734953.60 \text{ होगी।}$$

e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20 % शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती  $8734953.60 \times (20/100) = 1746990.72 \text{ /- say } 1746991\text{-}$

#### 4. कुल राशि का विवरण-

क्रम सं	मद का नाम	चही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि	969684	0	969684
2.	NPV की राशि	1091869	0	1091869
3.	दण्डात्मक राशि	1746991	0	1746991
4.	कुल योग	3808544	0	3808544

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 3808544 केम्पा मद में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(बडे विवेकानंद माणिकराव )  
उप वन संरक्षक  
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2025 -26/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(बडे विवेकानंद माणिकराव )  
उप वन संरक्षक  
बारां